न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हमीरगढ जिला भीलवाड़ा (राज.)
पीठासीन अधिकारी – नेहा छीपा (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या 32/2022 राजस्व प्रार्थनापत्र

उनवान

1 अम्बालाल पुत्र श्री हीरालाल जाट नि0 कलुन्दिया तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा (राज.)
2 कैलाश चन्द्र पुत्र श्री हीरालाल जाट नि0 कलुन्दिया तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा (राज.)
3 कालू लाल पुत्र श्री हीरालाल जाट नि0 कलुन्दिया तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा (राज.)

..... प्रार्थीगण

बनाम

1 भैरू पुत्र श्री मोहन भील नि0 कलुन्दिया तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज.)
2 श्रवण भील पुत्र श्री छोगा भील नि0 कलुन्दिया तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज.)
3 श्रीमती गीता पत्नी श्री नारायण भील नि0 कलुन्दिया तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज.)
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार हमीरगढ जिला भीलवाडा (राज.)

..... अप्रार्थीगण

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) की उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा के लिए आवेदन

उपस्थित :::– श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान ––––– प्रार्थी अधिवक्ता
राज्य पक्ष तहसीलदार हमीरगढ
अप्रार्थी संख्या 01,से 03 अनुपस्थिति

निर्णय

दिनांक 18–02–2025

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रार्थनापत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) की उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा के लिए दिनांक 02–03–2022 को प्रस्तुत किया गया। प्रार्थीगण की ओर से निम्नानुसार प्रार्थनापत्र प्रस्तुत है:–

यह कि सरहद प्रार्थीगण के स्वामित्व आधित्पय एवं कब्जे काश्त की सरहद कलुन्दिया पटवार हल्का पीपली भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र मंगरोप तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज०) के खाता संख्या 282 मे आराजी नम्बर 1180/588 रकबा 0.8852 हैक्टयर, आराजी नम्बर 1208/588 रकबा 1.2645 हैक्टयर कुल किता 02 रकबा 2.1497 हैक्टयर भूमि जो कि प्रार्थीगण के नाम पर दर्ज है।

यह कि प्रार्थीगण की प्रार्थनापत्र की चरण सख्या 01 एक मे वर्णित आराजीयात में आने जाने का एकमात्र रास्ता जो कि सरकारी रास्ता आराजी नम्बर 636 से होकर विपक्षी संख्या 01 लगायत 03 की आराजी नम्बर 600, 1273/600 एवं 1307/588 मी पूर्वी मेड के सहारे सहारे होकर प्रार्थीगण प्रार्थनापत्र की चरण संख्या 01 में वर्णित आराजी नम्बर 1180/588, 1208/588 में आते जाते है, जिससे प्रार्थीगण अपने बैलगाडी, संज, ट्रेक्टर आदि लाते ले जाते है। उक्त रास्ता जो कि काफी वर्षों पूर्व होकर विपक्षीगण को आंवटन से पूर्व का है। उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थीगण की प्रार्थनापत्र की चरण संख्या 01 एक मे वर्णित आराजियात मे आने जाने हेतु अन्य कोई रास्ता मौजूद नहीं है।

उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ (राज.)

PDF Scanner ACE Scanner

यह है कि प्रार्थीगण की उक्त आराजियात मे आने जाने का एकमात्र रास्ता व अत्यंतिक आवश्यक उक्त कदीमी रास्ता ही है, इसके अलावा अन्य कोई रास्ता नही है, लेकिन विपक्षीगण की नियत मे फितुर पैदा होने व प्रार्थीगण की आराजियात को हड़प करने की गरज से आये दिन रास्ते मे अवरोध पैदा करने लग गये। जबकि विपक्षीगण को ऐसा करने का कोई अधिकार नही है व विपक्षीगण को दिनांक 14 फरवरी 2022 दो हजार बाईस को रास्ते मे अवरोध पैदा नहीं करने व रास्ता दर्ज कराने हेतु कहने पर साफ तौर इंकार हो गये। यह है कि उक्त रास्ता राजस्व रेकार्ड (नक्शे) में दर्ज नही है। उक्त रास्ता बाबत मौके से रिपोर्ट तलब फरमायी जाकर के नियमानुसार राजस्व रेकार्ड (नक्शे) मे दर्ज करने हेतु यह प्रार्थनापत्र पेश किया जा रहा है साथ ही विपक्षीगण को पांबद किया जावे कि उक्त रास्ते मे अवरोध पैदा नही करे। यह है कि उपरोक्त खातेदारो से प्रार्थीगण ने आपसी सहमति के आधार पर रास्ता लेने का प्रयास किया, परन्तु हम अपने इस प्रयास मे सफल नही हो पाये है। जिससे उक्त प्रार्थनापत्र पेश करने के अलावा अन्य कोई विकल्प नही होने से यह प्रार्थनापत्र पेश करने की नौबत पेश आयी है।

अतः श्रीमान् से निवेदन है कि आपके माध्यम से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251–ए की उपधारा (1) के अधीन हमारी सरहद कलुन्दिया पटवार हल्का पीपली भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र मंगरोप तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज०) के खाता संख्या 282 मे आराजी नम्बर 1180/588 रकबा 0.8852 हैक्टयर, आराजी नम्बर 1208/588 रकबा 1.2645 हैक्टयर भूमि मे आने जाने हेतु एकमात्र रास्ता जो कि सरकारी रास्ता आराजी नम्बर 636 से होकर विपक्षी संख्या 01 लगायत 03 की आराजी नम्बर 600, 1273/600 एवं 1307/588 मी पूर्वी मेड के सहारे सहारे होकर प्रार्थनापत्र की चरण संख्या 01 में वर्णित आराजीयात मे आते जाते है, को रास्ता से 2 गटा यानि साढे सौलह फीट नया रास्ता दिलाने का आदेश प्रदान करावे एवं उक्त कायम किये गये नये रास्ते को राजस्व रेकार्ड (नक्शे) मे दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान करावे तथा इसके लिए सरकार द्वारा निर्धारित मुआवजे की राशि का भुगतान करने के लिए हम सदैव तैयार है।

प्रकरण में न्यायालय द्वारा अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस सूचित किया गया अप्रार्थी संख्या 01 से 03 अनुपस्थित होने से एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाने के आदेश पारीत किये गये। न्यायालय द्वारा तहसीलदार हमीरगढ को जरिये पत्र यह निर्देश दिये गये कि प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते के मुकाबले रिकार्ड एवं मौके का अध्ययन कर, नियमानुसार नवीन रास्ता कायमी के प्रस्ताव भिजवाया जावें, जिसके अनुपालन में तहसीलदार हमीरगढ ने अपने प्रतिवेदन के साथ रिपोर्ट हल्का पटवारी, मौका पर्चा, नजरी नक्शा, जमाबन्दी आदि पत्रादि प्रस्तुत की।

प्रकरण में तहसीलदार हमीरगढ से प्राप्त नवीन रास्ता कायमी बाबत मौका रिपोर्ट से यह अवगत कराया है कि प्रार्थी के पास चाहे गये मार्ग के अतिरिक्त अन्य वैकल्पिक का अभाव है। चाहा गया मार्ग ही प्रार्थी के पास एक मात्र मार्ग होना बताया गया है। तहसीलदार द्वारा मौजा कलुन्दिया प०ह० पीपली भू०अ०नि० मंगरोप तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज) स्थित अप्रार्थी संख्या 01 से 03 के खातेदारी खसरा संख्या 1204/1180 रकबा 2.1497 है० में से (5X76) 0.0379है०, भूमि नवीन मार्ग के लिए प्रस्तावित की गई है।

वकील प्रार्थी ने बहस में अपने अभिवचनों/तर्को से उनके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र/जवाब को मंजूर किए जाने का अनुरोध किया।

पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन एवं परीक्षण किया गया। वकूलाय फरिकेन द्वारा प्रस्तुत की गई बहस पर मनन/चिन्तन उपरान्त एवं तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावित रास्ता मौका रिपोर्ट के विश्लेषण परिणामस्वरूप न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि–

उपखण्ड अधिकारी

PDF Scanner ACE Scanner

1. रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता :– प्रार्थी के पास अपनी खातेदारी भूमि पर पहुंच का कोई स्थाई मार्ग मौके पर मौजूद नही है।
2. प्रार्थी के लिए सबसे निकटतम/सुगमतम मार्ग प्रार्थी द्वारा चाहा गया मार्ग ही है। जो राजस्व/नजरी नक्शे के अवलोकन से सिद्ध भी हुआ है।
3. रिपोर्ट भू.अ.निरीक्षक से यह अवगत कराया गया है कि प्रार्थी के पास चाहे गये मार्ग के अतिरिक्त मौके पर अन्य वैकल्पिक मार्ग का अभाव है। चाहा गया मार्ग ही प्रार्थी के पास एक मात्र मार्ग होना बताया गया है।
4. प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता निर्बाध आवागमन के लिहाज से सबसे निकटतम व सुगमतम रास्ता है।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क)(1) कानून मुताबिक प्रत्येक खातेदार को अपनी स्वयं की खातेदारी भूमि में पहुंचने के लिए रास्ता उपलब्ध कराया जावें व रास्ता 30.00 फिट तक उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है। फिर भी अप्रार्थी को न्यूनतम क्षति/असुविधा हो एवं उनका कम से कम रकबा प्रभावित हो इसे दृष्टिगत रखते हुए तहसीलदार हमीरगढ से प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार प्रार्थी के लिए प्रस्तावित किए गये खसरान में से 5 मीटर चौडाई का नवीन मार्ग उपलब्ध कराया जाना न्यायालय पर्याप्त एवं आवश्यक समझता है।

अतः मौजा कलुन्दिया प0ह0 पीपली भू0अ0नि0 मंगरोप तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज) स्थित अप्रार्थी संख्या 01 से 03 के खातेदारी खसरा संख्या 1204/1180 2.1497 है0 में से (5X76) 0.0379है0, नवीन रास्ता कायमी का यह प्रकरण न्यायालय न्यायपूर्ण मानता है।

–:: आदेश ::–

प्रार्थी का प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) की उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा के लिए बहक प्रार्थी विरूद्ध अप्रार्थी इस प्रकार स्वीकार किया जाता है कि वाके मौजा कलुन्दिया प0ह0 पीपली भू0अ0नि0 मंगरोप तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज) स्थित अप्रार्थी संख्या 01 से 03 के खातेदारी खसरा संख्या 1204/1180 2.1497 है0 में से (5X76) 0.0379है0,भूमि मुताबिक प्रस्ताव/नजरी नक्शा (सार्वजनिक उपयोग हेतु) नवीन मार्ग कायम किया जाकर तदनुसार रेकार्ड में अमल–दरामद किया जावें।

यह आदेश तब ही प्रभावी होगा जब तहसील हमीरगढ में प्रचलित डी.एल.सी. दर प्रति हैक्टेयर अनुसार प्रभावित रकबा 0.0379 हैक्टेयर (0379 वर्गमीटर), की मालियत राशि की दो गुना राशि प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या 01 से 03 (आराजी संख्या 1204/1180 के वर्तमान खातेदार) के पक्ष में अदायगी कर दी जावेगी अथवा राजकोष में जमा करा दी जावेगी।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर से कम की जाकर फैसल शुमार हो। निर्णय आज दिनांक 18.02.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नेहा छीपा)
उपखण्ड अधिकारी, हमीरगढ
जिला भीलवाडा (राज.)

PDF Scanner ACE Scanner